सं0–321 /IV(2)-श0वि0–08–49(सा0)/06

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–20 मार्च, 2008

विषय : नगर पंचायत, गौचर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–483/V-श0वि0–06–49(सा0)/06, दिनांक 06–03–06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, गौचर जनपद चमोली के अन्तर्गत छः कार्यों हेतु रू0–129.51 लाख की लागत के आगणन के विपरीत रू0–123.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या 801/V–श0वि0–06– 66(सा0)/03 टी0सी0 दिनांक 29 मार्च, 2006 के द्वारा रू0 66.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, गौचर के पत्र संख्या 552 दिनांक 13–3–2008 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में अवगत करायी गयी न्यूनतम निविदा की धनराशि के अनुसार इनकी लागत रू0 120.70 लाख आयी और प्रशासकीय स्वीकृति के विपरीत बचत रू0 2.85 लाख का समायोजन करते हुए शासनादेश दिनांक 6–3–2006 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों हेतु अब स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 53.99 लाख (रूपये तिरपन लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि रू0 53.99 लाख (रूपये तिरपन लाख निन्यानवे हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश सं0–483/V-श0वि0–06–49(सा0)/06, दिनांक 06–03–06 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2008 का पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 294/XXVII(2)/2008, दिनांक- 19 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

सं0-321 (1)/IV-श0वि0-08,तद्दिनांक। 20/3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गौचर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।